

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग


क्रमांक प0 7(8) कार्मिक/क-2/08

जयपुर, दिनांक 31-1-2011

आदेश

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6-5-2010 के द्वारा भर्ती के लिये विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत अतिरिक्त नोशनल पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित कर रखे जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिये विज्ञापित पदों के उक्त 4 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे।

अतः निर्णयानुसार प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित कर कार्मिक विभाग को सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

(खेमराज)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर सहित।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा सं० 17/2011 दिनांक 28 जनवरी, 2011 के क्रम में।



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।



शासन उप सचिव

05/2011